

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम-2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं9 24, वर्ष 2013) के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रारूप

आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि में विस्तार/संशोधन की सूचना

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन एवं नियामक अधिनियम 2013 के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग में अध्यक्ष – 1 पद तथा सदस्य – 2 पद हेतु दिनांक 04.07.2025 को प्रकाशित विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

“आवेदन पत्र में निर्दिष्ट विस्तृत विवरण एवं बायोडाटा के साथ सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित आवेदन पत्र ई-मेल आईडी0 hodcamp.id@gmail.com पर दिनांक 04.08.2025 सांय 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए”।

इसके अतिरिक्त विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तें तथा सूचनाएं पूर्ववत रहेंगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून